तारीख हुक्म	अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अनवान शांतिदेवी बनाम प्यारीदेवी अपील संख्या 110 सन् 2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.10.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांटस के अधिवक्ता की अपील पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट की पैतृक खातेदारी की भूमि है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद के विचारण में रहते मौके की स्थिति में परिवर्तन किया किया जाता है तो अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांटस की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल वाद के विचारण में रहते अपीलांटस के कब्जे काश्त में रेस्पोडेंटस द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो अपीलांटगण के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायायल सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायिक आदेशों की श्रेणी में नहीं आता है तथा पक्षकार अनावश्यक परेशान होकर व्यर्थ ही मुकदमेबाजी में उलझते है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट द्वारा पेश अपील को इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 को खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे। 25.X.23 (मंगलाराम पूनिया) राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	